



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01042022-234789
CG-MH-E-01042022-234789

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1493]
No. 1493]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1943

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 1 अप्रैल, 2022

शुद्धि-पत्र

का.आ. 1554(अ).—केंद्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008, की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, बड़ी सादड़ी नीमच नई बड़ी लाइन (48.35 कि.मी.) को भूमि अधिग्रहण के हेतु लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्यों में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है एवं ई-राजपत्र अधिसूचना संख्या 1513(ए) दिनांक 29.03.2022 के हिंदी संस्करण में, परियोजना का नाम बड़ी सादरी से दाहोद नई लाइन के बजाय "बड़ी सादड़ी से नीमच (48.35 किलोमीटर) तक नई बीजी लाइन परियोजना" के रूप में सही किया जाता है।

[फा. सं. ई आफिस – (E-280850-1)]

राजकुमार वानखेडे, मुख्य अभियंता (निर्माण) III

MINISTRY OF RAILWAYS**(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 1st April, 2022

CORRIGENDUM

S.O. 1554(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “New BG Line Project from Badi Sadri to Nimach (48.35 Kms)” as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Rajasthan & Madhya Pradesh, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette. In hindi version of the E- Gazette notification No. 1513(A) Dated 29.03.2022, name of the project is corrected as “New BG Line Project from Badi Sadri to Nimach (48.35 Kms)” instead of Badi Sadri to Dahod new line.

[F. No. E-Office E-280850-1]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Engineer /Construction-III